31 मार्च तक 72 महत्वपूर्ण चौक- चौराहों पर सीसीटीवी लगाने का लक्ष्य

26 जिलों में अब एआइ की मदद से होगी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की पहचान

संवाददाता, पटना

राज्य में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने अब एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से जिलों में हेलमेट नहीं पहनने वालों एवं अन्य यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान की जायेगी. इसके लिए राज्य के 26 जिलों के 72 महत्वपूर्ण चौक-चौराहों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सीसीटीवी के माध्यम से ऑटोमेटेड चालान काटने की कवायद शुरू की जायेगी. इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मार्च 2025 का लक्ष्य रखा गया है . एक अप्रैल,2025 से ऑटोमेटेड चालान काटे जाने की कवायद शुरू हो जायेगी.

इस आशय की जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह पहल राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सड़क दुर्घटना में कमी लाने और यातायात के नियमों का पालन सख्ती से करवाने के उद्देश्य से की जा रही है. परिवहन सचिव ने बताया कि चार स्मार्ट सिटी वाले जिलों में यह व्यवस्था पहले से लागू है. नौ अन्य जिलों में एक विस्तृत कार्यक्रम के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे.

एक अप्रैल से ऑटोमेटेड कटने लगेंगे इ- चालान

इन 26 जिलों में सीसीटीवी कैमरे से कटेंगे चालान : मधेपुरा, सुपौल, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, समस्तीपुर, मधुबनी, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बांका, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, गोपालगंज, सीवान, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, खगड़िया और मोतिहारी में सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे.

26 जिलों के 72 महत्वपूर्ण चौक–चौराहों पर सीसीटीवी के माध्यम से ऑटोमेटेड चालान काटने की कवायद होगी शुरू

- राज्य में सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एआइ की मदद से हेलमेट नहीं पहनने वालों की पहचान होगी
- कैमरे वाहन के नंबर प्लेट को स्वचालित रूप से स्कैन करेंगे. सिस्टम स्वत : चालान तैयार कर भेजेगा.

ऑटोमेटेड चालान की प्रक्रिया

कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्वचालित रूप से स्कैन करेंगे. किसी भी प्रकार के यातायात नियम के उल्लंघन की स्थिति में सिस्टम स्वत : चालान तैयार कर संबंधित वाहन स्वामी के पते पर भेजेगा. इस संदर्भ में परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि 26 जिलों में सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिल गयी है. इससे निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के प्रति लोग अधिक जागरूक होंगे.

हेलमेट नहीं लगाने की वजह से 1389 लोगों की मौत : बिहार में वर्ष 2023 में हेलमेट नहीं लगाने की वजह से सड़क दुर्घटना में 1389 लोगों की मौत और 905 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. इन मौतों में 882 दोपहिया वाहन चालक एवं 507 पीछे सवार थे, जो दुर्घटना के वक्त हेलमेट नहीं पहने थे.